मुकदमा नं0– 04/2024 अनवान– राजूसिंह बनाम इन्द्राज आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.05.2024	पत्रावली पेश हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2022 को भूमि आवासीय रूपान्तरण किया गया, को अपास्त करवानें बाबत अपील प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.03.2022 को पारित आदेश की अपील न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस हेतू निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये– 1. RRT 2016(2) page No. 740 to 742 2. RBJ 2023 page No. 270 to 275 3. RBJ (21) 2014 page No. 388 to 389 **4.**न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर निर्णय दिनांक 23.04.2024 अनवानी बलविन्द्र सिंह बनाम अरसा बीबी। 5. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(क) पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव प्रस्तुत दृष्टांत का अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करनें पर एंव दृष्टांत का अध्ययन करने पर पाया कि भू–राजस्व(लैण्ड रेवेन्यु) अधिनियम 1956 की धारा 90(क) की उपधारा 9 के अनुसार इस धारा की अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिवस के भीतर–भीतर, राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किये गये कलक्टर की रैंक से अनिम्न पंक्ति के ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा। अतः अपील अपीलांट न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होनें के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar Date: 2024.06.03 16:00:37 IST Reason: SelfAttested अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)	